जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी-1064 दिनांक: 6-7-07

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 39 वी बैठक दिनांक: 29.06.07 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं0	जोन सं0	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		39:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 38 वी बैठक दिनांक: 29.05.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आयोजित 38वी बैठक दिनांक: 29.05.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
2.	1	39:2	सरस्वती शिक्षा संस्थान को पुस्तकालय एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आवेदक संस्था सरस्वती शिक्षा संस्थान ने न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह पुस्तकालय एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ कोचिंग क्लासेज, स्कूल व अन्य शैक्षणिक कार्य हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 1800 वर्गगज भूमि का आंवटन चाहा है। झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 1666.66 वर्गगज रिक्त है अत: झालाना संस्थानिक क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित पर उक्त भूखण्ड का आंवटन किया जावें । उपायुक्त द्वारा मीटिंग के दौरान यह अवगत कराया गया कि उक्त संस्था द्वारा 1000 वर्गगज भूमि का आंवटन चाहा गया था, वांछित 1000 वर्गगज भूमि संस्थानिक क्षेत्र में उपलब्ध नही है तथा उपलब्ध भू.सं. 3 क्षेत्रफल 1666.66 वर्गगज की लोकेशन को देखते हुए इसका विभाजन भी संभव नही है। इस भूखण्ड का निष्पादन एक ही भूखण्ड के रूप में किया जा सकता है । प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त संस्था को झालाना संस्थानिक क्षेत्र के भू.सं. 3 क्षेत्रफल 1666.66 वर्गगज भूखण्ड को संस्थानिक आरिक्षत दर पर आंवटन किये जाने का निर्णय लिया गया ।
3.	7	39:3	अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी चौडा रास्ता, जयपुर को 101.80 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी को वैशाली नगर योजना में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के भूखण्ड के पास उपलब्ध 5630 वर्गमीटर भूमि का आवंटन योजना की आवासीय आरक्षित दर पर किया गया था । तत्पश्चात् शासन उपसचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प-3(91)नवि/03/2000/जयपुर दिनांक: 12.06.01 के अनुसार उक्त आंवटन आवासीय आरक्षित दर 1650/- के 10 प्रतिशत अर्थात् 165/- वर्गमीटर की दर पर किया गया था। उक्त आंवटित भूखण्ड का स्थल मानचित्र तैयार करते समय 101.80 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि जुड़ जाने से अब इस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 5731.80 वर्गमीटर का हो गया है

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				अत: बढे हुए क्षेत्रफल 101.80 वर्गमीटर का आंवटन उक्त संस्था को किया जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमश कर निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में भूमि का क्षेत्रफल 101.80 वर्गमीटर है, जो 'स्ट्रीप ऑफ लैड' के अंतर्गत नहीं आता है। बल्कि संस्था को पूर्व में किये गये आंवटन के अतिरिक्त द्वितीय आंवटन की श्रेणी में आने के कारण वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर आंवटन किये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि उक्त संस्था को किया जा रहा यह आंवटन द्वितीय आंवटन की श्रेणी में है। अत: राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आंवटन की कार्यवाही की जावें ।
4.	10	39:4	नारायण हृदयाल्या इंस्टीट्यूट आफ कार्डियक साईस बैगलोर को जयुपर में हैल्थ सिटी की स्थापना बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि चेयर मैन नारायण हृदयालया इंस्टीटयूट आफ कार्डियक साईस बैगलोर द्वारा उनकी संस्था को जयपुर मे हैल्थ सिटी की स्थापना हेतु ग्राम बगराना तह0 जयपुर के ख.नं. 246 रकबा 20 बीघा, 247 रकबा 18 बीघा व 248 रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 92 बीघा 10 बिस्वा किस्म गे.मु. चारागाह में से 50 एकड भूमि आरक्षित की जावें। संस्था द्वारा बी.आई.पी. की बैठक दिनांक: 21.04.05 मे 25-30 एकड भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके संदर्भ में संस्था द्वारा दि. 27.06.07 को पुन: आयुक्त महोदय को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 50 एकड भूमि की मांग की गई है। उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि उक्त संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण है जिस पर जविप्रा की बगराना ट्रांसपोर्ट नगर योजना सृजित है अत: इस योजना को निरस्त कर भू-उपयोग संस्थानिक किये जाने की शर्त पर 50 एकड भूमि संस्था हेतु आरक्षित की जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया चूंकि प्रकरण बी.आई.पी. में अभी विचाराधीन है अत: पूर्व में सृजित जविप्रा की बगराना ट्रांसपोर्ट नगर योजना को सक्षम समिति से निरस्त कराने तथा भू-उपयोग संस्थानिक कराये जाने की शर्त पर 50 एकड भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित की जाती है। स्टेट मेडिकल प्लानिंग रिसोर्स कमेटी (बी.आई.पी.) में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अनुसार जितनी भूमि की अनुशंषा प्राप्त होगी तदनुसार आंवटन किये जाने की कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।
	10	39:5	महिमा शिक्षा समिति को एल.पी.सी की 29वी बैठक दिनांक 17.04.06 में ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर के ख. न. 146,180 किस्म गै.मु नदी में किये गये आंवटन को निरस्त करने के संबंध मे।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि महिमा शिक्षा समिति को एल.पी.सी. की 29 वी बैठक दि. 17.04.06 में ग्राम भावगढ बंधा तह. सांगानेर में 12.17 हे0 भूमि का आंवटन किया गया था जिसमें ख. नं. 146 व 180 किस्म गे.मु.नदी की 2.63 हे0 भूमि भी शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अुनसरण मे निदेशक (विधि) की टिप्पणी एवं जयपुर विकास आयुक्त के अनुमोदनानुसार उक्त गे.मु.नदी की भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में एल.पी.सी. की 29 वी बैठक दि. 17.04.06 में ख.नं. 146 एवं 180 क्षेत्रफल 2.63 हे0 किस्म गे.मु.नदी का आंवटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।
	12	39:6	श्री लक्ष्मी नारायण यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में भू.सं. 385 एवं रमल्यावाला विस्तार योजना में भू.सं. 78 क्षेत्रफल 202.2 प्रत्येक (कुल क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर) के स्थान पर रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में 351	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री लक्ष्मीनारायण यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में भू.सं. 385 एवं रमल्यावाला विस्तार योजना में भू.सं. 78 क्षेत्रफल 202.5 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर का आंवटन किया गया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त दोनों आंवटित भूखण्ड अलग-अलग स्थानों पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दो स्थानों पर पशुओं को बांधने में परेशानी होगी एवं खर्चा भी बढेगा इसलिये दोनों भूखण्डों के स्थान पर रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में 351 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आंवटन किया जावे। उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा भू.सं. 385 में बनाई हुई चारदीवारी का वह जविप्रा पर कोई क्लेम नहीं करेगा तथा तथा उसको आंवटित दोनों भूखण्डों को जविप्रा के हक में समर्पण कर देगा। अत: रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में

			वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	351 वर्गमीटर के खाली भू.सं. 8 से 16 एवं 96 से 99 में से कोई एक भूखण्ड जर्ये लाटरी आंवटित कर दिया जावें । प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में आंवटित दोनों भूखण्डों के स्थान पर इनके बदले 351 वर्गमीटर का भूखण्ड उपायुक्त के प्रस्तावनुसार जर्ये लाटरी आंवटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
12	39:7	श्री सुबे सिंह यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में आंवटित भू.सं. 548 को श्रीमति रेणु खण्डेलवाल को विक्रय किये जाने के कारण निरस्त किये जाने बाबत् ।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि रमल्यावाला डेयरी योजना में श्री सूबे सिंह यादव को भू.सं. 548 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर का आंवटन किया गया था। आंवटी को आंवटित भूखण्ड का पट्टा दिनांक: 1.07.05 को जारी किया गया । श्री सूबे सिंह यादव द्वारा उक्त भूखण्ड रेणू खण्डेलवाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दिया है। जबकि जारी किये गये पट्टे की शर्त संख्या 8 में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि उपरोक्त भूखण्ड रियायती दर पर आंवटित किया गया है। अत: यह किसी भी प्रकार से विक्रय/ रहन आदि द्वारा (सरकार/जीवन बीमा निगम/ बैंक से उस पर ऋण प्राप्त करने के अलावा) 10 वर्ष की अवधि तक हस्तांतरण नही किया जा सकेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड रियायती दर पर डेयरी स्थानान्तरण कर संचालन हेतु आंवटित किया गया था। पट्टे की उक्त शर्त के अनुसार भूखण्ड को किसी अन्य व्यक्ति को 10 वर्ष से पूर्व विक्रय नही किया जा सकता है। अत: उक्त भूखण्ड का आंवटन निरस्त किया जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर रियायती दर पर आंवटित भूखण्ड का विक्रय पट्टे की शर्त सं. 8 के अनुसार 10 वर्ष से पूर्व कर दिये जाने के कारण उक्त भूखण्ड का आंवटन निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
12	39:8	श्रीमती शुभ्रा सिंह (आई. ए.एस) एवं श्री शैलेन्द्र मीणा को संबंधित आय वर्ग में भूखण्ड आंवटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री मती शुभ्रा सिंह ने आनन्द लोक आवसीय योजना के जी वर्ग में भूखण्ड आंवटन हेतु किया था। परन्तु लाटरी में सहवन से उन्हें ए वर्ग अर्थात 45 वर्ग मीटर का भूखण्ड संख्या डी-140 का आंवटन कर दिया गया। इस प्रकार इस योजना में श्री शैलेन्द्र मीणा द्वारा बी वर्ग में भूखण्ड आंवटन हेतु आवेदन किया गया था। परन्तु लाटरी में सहवन से उसे डी वर्ग में अर्थात 162 वर्ग मीटर का भूखण्ड संख्या सी-200 का आंवटन कर दिया गया। इस प्रकार उक्त दोनों आंवटन उनके आवेदन किये गये वर्ग के अनुसार नही होकर अन्य वर्ग में आंवटन हो गये है। अत: उक्त दोनो आंवटनों का निरस्त कर श्रीमती शुभ्रा सिंह को जी वर्ग में भूखण्ड संख्या बी-28 क्षेत्रफल 504 वर्ग मीटर तथा शैलेन्द्र मीणा को डी वर्ग में भूखण्ड संख्या ए-127 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर जो रिक्त है का आंवटन कर दिया जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती शुभ्रा सिंह को पूर्व में आंवटित भूखण्ड संख्या डी-140 क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-28 क्षेत्रफल 504 वर्ग मीटर तथा श्री शैलेन्द्र मीणा को पूर्व में आंवटित भूखण्ड संख्या सी-200 क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए-127 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आंवटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
10	39:8(1)	कला एवं संस्कृति विभाग, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को ग्राम आमेर में 'कालबेलिया स्कूल आफ डांस' की स्थापना हेतु भूमि आंवटित किये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र जयपुर, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट अभिभाषण वर्ष 2007-2008 के दौरान बजट घोषणा 173 में कालबेलिया नृत्य का संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर में हाथी गांव के समीप 'कालबेलिया स्कूल आफ डॉस' की स्थापन करने की घोषणा के कम में एवं इस बजट घोषणा की त्वरित गति से अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कला एवं संस्कृति विभाग को 5 बीघा भूमि आंवटन किये जाने का अनुरोध किया है अत: ग्राम एव तहसील आमेर में ख.न. 718 रकबा 0.69 हे. किस्म बजड़ सम्पूर्ण एवं ख.न. 1344 रकबा 2.95 हे. किस्म गे.मु कुण्ड में से 0.56 हे. भूमि (किस्म परिवर्तन होने की शर्त पर) का आंवटन किया जावे। उपायुक्त द्वारा अपने प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि ख.न. 1344 रकबा 2.95 हे. किस्म गे.मु कुण्ड की भूमि

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				पूर्व में होटल हेतु आरक्षित की गई थी। ख.न. 718 पर श्री प्रेमनारायण गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण गुप्ता द्वारा चारदीवारी बनवाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसने नियमितिकरण/ आंवटन हेतु शासन सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग को आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में यह भी अंकित किया है कि आवेदित भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 मे भू.उपयोग इकोलोजिकल दर्शित है। जिसे परिवर्तित कराये जाने की आवश्यकता है। प्रकरण पूर्व में एलपीसी की 37वीं बैठक में 'गुलाबों सपेरा नृत्य एवं संगीत संस्थान' को आंवटन किये जाने बाबत प्रस्तुत हुआ था जिसके निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा निर्धारित मानदण्डो को पूरा नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड तथा नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार कमियों की स्थिति के सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए आवश्यक शिथिलता हेतु राज्य सरकार को लिखा जाना था। इस क्रम में राज्य सरकार को पत्र क्रमांक डी-523 दिनांक 03.06.07 के द्वारा प्रत्र प्रेषित किया गया इसी दौरान कला एवं संस्कृति विभाग से भू.आंवटन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में एल.पी.सी. दि. 25.04.07 की बैठक में लिये निर्णय को संशोधित करते हुए गुलाबो सफेरा नृत्य संगीत संस्थान की जगह कला एवं संस्कृति विभाग को भूमि ख.नं. 718 की 0.69 हे0 व ख.नं. 1344 में से 0.56 हे0 भूमि आंवटन की जानी है। ख.नं. 1344 की 0.56 हे0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन कुंड है। गैर मुमकिन कुंड की भूमि की किस्म परिवर्तन कराये बिना भूमि आवंटन योग्य नहीं है। अत: भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे। चूंकि मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग ईकोलेजिकल दर्शित है। अत: भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की शर्त पर कला एवं संस्कृति विभाग को 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
10.	11	39:8(2)	राजस्थान राधा स्वामी सत्संग एशोसिएशन जयपुर को ग्राम महापुरा तह0 सांगानेर में जविप्रा के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 1129, 1130 के आंवटन के संबंध में ।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान राधास्वामी सत्संग एशोसियेशन जयपुर द्वारा उनकी स्वंय की भूमि से लगती हुई ग्राम महापुरा की जविप्रा के स्वामित्व की भूमि ख.न. 1129, 1130 में से मुख्य सडक से उनकी संस्था की भूमि तक आवागमन हेतु (रास्ते हेतु) 185.05 वर्गमीटर भूमि का आंवटन किये जाने की मांग की गई है अत: उनकी संस्था को उक्त 185.05 वर्ग मीटर भमि का आंवटन किया जावे। प्रकरण पूर्व में एलपीसी की 38वी बैठक में 827 वर्गमीटर भूमि आंवटन बाबत प्रस्तुत हुआ था जिसके निर्णय अनुसार जविप्रा के स्वामित्व की उक्त भूमि की मौका स्थिति व संभावित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्लानिंग तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में पत्रावली निदेशक आयोजना को प्रेषित की गई निदेशक आयोजना की टिप्पणी के अनुसार जविप्रा के स्वामित्व की उक्त भूमि को मौजूदा स्थिति अनुसार अभी खाली रखा जाना है क्यों कि प्रश्नगत भूमि प्लानिंग किये जाने हेतु पर्याप्त चौडाई की नहीं है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर उक्त संस्था द्वारा आवागमन के क्रम में रास्ते हेतु चाही जा रही जविप्रा के स्वामित्व की भूमि ख. न0 1129,1130 में से 185.05 वर्गमीटर भूमि मास्टर प्लान 2011 में भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने की व राज्य सरकार की स्वीकृति की शर्त पर आंवटन किए जाने का निर्णय लिया गया अत: भूमि आंवटन एवं दर के संबंध में प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
11.	9	39:8(3)	महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. के स्थान पर जयपुर महानगर टाईम्स का नाम संशोधन करने बाबत	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एलपीसी की 36 वीं बैठक दिनांक 24.03.07 में महानगर मल्टीमीडिया प्रा.लि को समाचार पत्रों हेतु भूमि आंवटन के कम में सेन्ट्रल स्पाईन योजना के वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एस-42 क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर भूमि मे से 2454.14 वर्गमीटर भूमि आंवटन किये जाने का निर्णय लिया गया था। पत्रावली के पुनः परीक्षण पर स्पष्ट हुआ है कि संस्था द्वारा पूर्व में महानगर मल्टीमीडिया के नाम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। परन्तु

सचिव (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आंवटन जयपुर महानगर टाईम्स के नाम से होना था इसलिये जयपुर महानगर टाईम्स के नाम से भी निर्धारित प्रपत्र में पुन: आवेदन पत्र प्रस्तुत किया इसके साथ जयपुर महानगर टाईम्स से संबंधित दस्तावेज तथा बैलेंस शीट, रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र आदि संलग्न किये थे। ये दोनों आवेदन पत्र एक ही पत्रावली में संलग्न करने के कारण जयपुर महानगर टाईम्स के बजाए सहवन से पूर्व प्रस्तुत महानगर मल्टीमीडिया के आवेदन पत्र अनुसार आंवटन की कार्यवाही हो गई अत: इस पूर्व आंवटन में महानगर मल्टीमीडिया प्रा.लि के नाम के स्थान पर महानगर टाईम्स का नाम संशोधित किया जावे। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व मे एलपीसी की 36वी बैठक दिनांक 24.03.07 में अंकित शब्द 'महानगर मल्टीमीडिया प्रा.लि' के स्थान पर 'महानगर टाईम्स' संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आंवटन के संबंध में शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।
12.	11	39:8(4)	राज. प्राथमिक विद्यालय देहवाली की ढाणी (झांई) तह. सांगानेर को शाला भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि आंवटन बाबत् ।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहवाली की ढाणी (झांई)तहसील सांगानेर को शाला भवन एवं खेल के मैदान हेतु ग्राम झांई के ख.न. 273 की 2.27हे. चारागाह भूमि में से 4000 वर्गगज भूमि का निशुल्क आंवटन किया जावे। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भूउपयोग ग्रामीण दर्शित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्तानुसार निशुल्क भूमि आंवटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भूउपयोग ग्रामीण दर्शित है अत: भूउपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आंवटन की कार्यवाही की जावे।
13.	1	39:8(5)	ग्राम झालाना डूँगर तहसील सांगानेर के ख.न. 180,181,184,186 रकबा 74147 वर्गमीटर भूमि का ओद्योगिक से वाणिज्यिक भूरूपान्तरण के प्रकरण में ख.न.184, 186 (गत ख.न. 522,530) की 4716 वर्गमीटर राजकीय भूमि की कीमत निधारण के कम में	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आवेदक जय डिक्स प्रा.लि द्वारा ग्राम झालाना डूँगर तहसील सांगानेर के ख.न. 180,181,184,186 रकबा 74147 वर्गमीटर भूमि का ओद्योगिक से वाणिज्यिक भूरूपान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया है। आवेदित भूमि जवाहर लाल नेहरू मार्ग की 200 फीट चौडी सड़क पर स्थित है एवं सेक्टर प्लान अनुसार प्रश्नगत भूमि के दक्षिण की ओर 80 फीट चौडी सडक स्थित है। जिला कलेक्टर जयपुर के पत्र कमांक 8944 दिनांक 15.07.06 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का आद्योगिक से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन उप सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) के पत्रांक प.2 (20) राज. भू. रू. 2006 दिनांक 07.07.06 के कम मे जारी की जा चुकी है। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.10.06 के द्वारा राजस्व ग्राम-झालाना डूँगर,तहसील सांगानेर के ख.न. 180,181,184व 186 की 74147 वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय किया जा चुका है प्रश्नगत भूमि की धारा 25(1) की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र दिनांक 08.01.07 में प्रकाशित हो चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के औद्योगिक से वाणिज्यिक भू-उपयोग उपान्तरण की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकरण में वाणिज्यिक रूपान्तरण हेतु प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक है। अत: नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.3(28) नवि. /3/96 दिनांक 28.03.07 के अनुसार प्रकरण मे 1500 वर्गगज से अधिक भूमि का वाणिज्यिक रूपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है। कार्यालय जिला कलक्टर,जयपुर के पंत्राक-8944 दिनांक 15.07.06 के अन्तर्गत ग्राम झालाना डूंगर तहसील सांगानेर के वर्तमान ख.न. 184 (गत ख.न 522,530)की 4716 वर्गमीटर भूमि के संबंध मे इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान डी.एल.सी दर की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार में भूमि की कीमत के रूप में जमा करायी

				जायेगी तदुपरान्त नगरीय विकास विभाग के नियमों के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस सरकारी भूमि की कीमत व सम्परिवर्तन राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति जारी की जायेगी। जिला कलक्टर,जयपुर के द्वारा जारी पत्र के इस बिन्दु संख्या 2 के क्रम में 4716 वर्गमीटर सरकारी भूमि की कीमत प्रार्थी कम्पनी से वसूल की जानी है। इस सरकारी भूमि का कीमत का निर्धारण The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of urban land) Rules 1974 व वर्तमान में प्रभावी प्रवधानों के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अत: प्रकरण निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि 4716 वर्गमीटर सरकारी भूमि की कीमत प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर वर्तमान डी. एल.सी दर की 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार मे भूमि की कीमत के रूप में जमा कराई जावेगी। उक्त भूमि जवाहरलाल नेहरू मार्ग की 200' चौडी सडक पर व्यवसायिक पट्टी में स्थित होने के कारण, उक्त भूमि व्यवसायिक है। व्यवसायिक भूमि का निस्तारण जर्ये नीलामी ही किया जा सकता है अत: प्रकरण में व्यवसायिक भूमि आंवटन किये जाने की स्वीकृति एंव ली जाने वाली दर के संबंध में प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
14	4	39:8(6)	200 फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारी को भूखण्ड संख्या 48ए सरस्वती नगर ई के पुर्नवास हेतु सवाई गेटोर योजना में 90 वर्ग मीटर का भूखण्ड आंवटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया श्रीमती चन्द्रकाता शर्मा पत्नि श्री कैलाश चन्द्र शर्मा का भूखण्ड संख्या 48ए सरस्वती नगर ई विस्तार जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के अन्तराष्ट्रीय ट्रमिनल की ओर जाने वाली 200', सडक की सीमा में आ रहा है। तत्कालीन आयुक्त जविप्रा,जयपुर ने आवेदक को निर्मित भवन व ट्यूब वैल का मुआवजा दिये जाने के आदेश प्रार्थिया के प्राथना पत्र पर दिये है। सरस्वती नगर ई विस्तार योजना गैर अनुमोदित योजना है अत:भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रकरण केवल पुर्नवास नीति के अनुसार ही निर्णीत किया जा सकता है आवेदक का निर्मित मकान सडक सीमा मे है अत: बतौर अतिक्रमी गैर अनुमोदित भूखण्ड पर काबिज है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ऐसे प्रकरणो में केवल पुर्नवास करने हेतु भूखण्ड आवसीय आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाये गये है। अत: प्रश्नगत प्रकरण में भी भूखण्ड संख्या 44 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर सवाई गेटोर योजना में आवासीय आरक्षित दर पर आंवटन किया जावे तथा निर्मित भवन एवं ट्यूब वैल की लागत अनुमान 4,78,927/- के भुगतान के संबंध में भी निर्णय किया जावे। प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया किया कि जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पुनर्वास किये जाने हेतु श्रीमति चन्द्रकान्ता शर्मा को सवाई गैटोर योजना में भूखण्ड संख्या-44, क्षेत्रफल 90वर्गमीटर का आवंटन प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर किया जाये व ट्यूबवेल व भवन की लागत का मुआवजा नियमानुसार प्रार्थियां को दिया जावे तथा इस निर्णय को प्राधिकरण (Authority) की बैठक से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जावे।
15	12	39:8(7)	ऑपरेशन गुरूकुल अभियान 2005 के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय भवन हेतु भूमि आंवटन के संबंध में लिये गये निर्णय में संशोधन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा निवेदन किया गया है कि ऑपरेशन गुरूकुल अभियान 2005 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर से प्राप्त राजकीय विद्यालयों को भूमि आंवटन के प्रकरणों में दिनाक 24.03.07 को आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में निशुल्क आंवटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर आंवटन का निर्णय लिया जाना अंकित किया गया था। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.05 में राजकीय विद्यालयों को निधारित सीमा तक निशुल्क भूमि आंवटन किये जाने के निर्देश है। अत: इस प्रकार पूर्व में राजकीय विद्यालयों को भूमि आंवटन के प्रकरणों में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.05 के प्रावधानों के अनुसार निधारित सीमा तक किये गये आंवटनों को निशुल्क आंवटन किये जाने हेतु प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।

				प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया दिनांक 14.02.05 अथवा इस के पश्चात जविप्रा द्वारा राजकीय विद्यालयों को किये गये भूमि आंवटन के सभी प्रकरणों में आंवटन की जाने वाली निर्धारित सीमा तक निशुल्क: आंवटन किये जाने का निर्णय एलपीसी की 38 वीं बैठक दिनांक 29.05.07 के प्रस्ताव संख्या 38:10(5) में लिया जा चुका है। अत: तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ठ-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 39वीं बैठक दिनांक 29-6-07 में उपस्थित रहे जन-प्रतिनिधियों/ अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि/ अधिकारी मय पद	एल0पी0सी0 में पद
1-	श्री डी0बी0 गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2-	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, मा0 विधायक	सदस्य
3-	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा0 विधायक	सदस्य
4-	श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5-	श्री एस0सी0 महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6-	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
7-	श्री नरेश चन्द्र शर्मा, अति0 आयुक्त (एल0पी0सी0)	सदस्य सचिव
8-	श्री बी0के0 दोषी, अति0 आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
9-	श्री एन0के0 खींचा, अति0 आयुक्त (भूमि)	सदस्य
10-	श्री एम0एल0 गुप्ता, अति0 निदेशक (आर एण्ड डीपी)	विशेष आमंत्रित
11-	श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त-7	विशेष आमंत्रित
12-	श्री राजेन्द्र शर्मा, उपायुक्त-1	विशेष आमंत्रित
13-	श्री डी0आर0 सैनी, उपायुक्त-10	विशेष आमंत्रित
14-	श्री इन्द्र सिंह सोलंकी, उपायुक्त-12	विशेष आमंत्रित
15-	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त-11	विशेष आमंत्रित
16-	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त-9	विशेष आमंत्रित
17-	श्री देवेन्द्र शर्मा, उपायुक्त-3	विशेष आमंत्रित
18-	श्री अरूण जोशी, जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित

अति० आयुक्त (एल
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर